**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या- *232**

**गुरूवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)**

**स्नातक और शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी**

***232. श्री मो. नदीमुल हकः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 20 से 29 वर्ष की आयु के स्नातकों को अत्यधिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सुशिक्षित वर्ग में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत का तीन गुणा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इसके कारणों को समझने के लिए कोई अध्ययन कराये हैं;

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेरोजगारी का इतना ऊंचा स्तर हिंसक सामाजिक अशांति उत्पन्न कर सकता है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार मंत्री**

**(श्री भूपेन्द्र यादव)**

**(क) से (छ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।**

*

**"स्नातक और शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी" के संबंध में श्री मो. नदीमुल हक द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 24-03-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *232 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (छ): रोजगार एवं बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 की नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18, 2018-2019 एवं 2019-20 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 17.8%, 17.3% एवं 15.0% थी जो कि 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के मध्य बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृति को दर्शाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, पीएलएफएस 2019-20 (जुलाई, 2019 से जून, 2020 तक की सर्वेक्षण अवधि) के दौरान, सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार का विस्तार जारी रहा। 2018-19 और 2019-20 के मध्य, लगभग 4.75 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति कार्यबल में शामिल हुए।

इसके अलावा, वर्ष 2019-20 की नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर विभिन्न शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

| | बेरोजगारी दर **(% में)** | | |
|---|---|---|---|
| **सामान्य शिक्षा स्तर** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20** |
| निरक्षर | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
| साक्षर व प्राथमिक तक | 2.7 | 2.4 | 1.4 |
| माध्यमिक | 5.5 | 4.8 | 3.4 |
| सेकेंडरी | 5.7 | 5.5 | 4.1 |
| उच्च माध्यमिक | 10.3 | 9.2 | 7.9 |
| डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 19.8 | 17.2 | 14.2 |
| स्नातक | 17.2 | 16.9 | 17.2 |
| स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक | 14.6 | 14.4 | 12.9 |
| सेकेंडरी एवं उससे अधिक | 11.4 | 11.0 | 10.1 |
| **अखिल भारत** | **6.0** | **5.8** | **4.8** |

स्रोतः एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकडे दर्शाते हैं कि सामान्य स्थिति के आधार पर स्नातकों को छोड़कर सभी शिक्षा स्तरों पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्नातकों की बेरोजगारी दर लगभग स्थिर रही है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सुशिक्षित लोगों में बेरोजगारी के कारणों के संबंध में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अध्ययनों ने दर्शाया है कि उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और रोजगार चाहने वालों के कौशल के मध्य असंतुलन हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों की तलाश में लगे उच्च शिक्षित लोगों में उच्च बेरोजगारी होती है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30-06-2021 से बढ़ाकर 31-03-2022 कर दिया गया है। 12.03.2022 तक 1.35 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 51.95 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 11.03.2022 तक, 34.08 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा हों।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत संकेन्द्रण के साथ रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

****